पतंगबाजी से हो सकती है हजारों लोगों की बिजली गुल

बीएसईएस की ओएंडएम टीमें हाईअलर्ट पर

- पिछले साल 15 अगस्त पर हुई थी 25 ट्रिपिंग्स

नई दिल्लीः 11 अगस्त, 2014। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बड़े पैमाने पर होने वाली पतंगबाजी से हजारों लोगों की बिजली गुल हो सकती है। अगर 66/33 केवी की एक सिर्फ लाइन ट्रिप हो जाए, तो इससे एकसाथ 10 हजार लोगों के घरों में अंधेरा छा जाएगा।

हालांकि, 15 अगस्त के लिए बीआरपीएल और बीवाईपीएल ने अपनी ओएंड टीमों को हाईअलर्ट पर रहने को कहा है। टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि कहीं पतंगबाजी की वजह से ट्रिंपिंग होती है, तो घटनास्थल पर तुरंत पहुंचकर, इलाके में जल्द से जल्द बिजली व्यवस्था बहाल की जाए। उल्लेखनीय है कि पिछले साल 15 अगस्त को दिल्ली में पतंगबाजी से 25 ट्रिपिंग्स हुई थीं और बड़े पैमाने पर लोगों के घरों की बत्ती गुल हो गई थी।

बीएसईएस ने पतंगबाजी के शौकीनों से अपील की है कि वे बिजली के पोल्स, तारों, ट्रांसफॉर्मरों और अन्य उपकरणों के आसपास पतंग न पड़ाएं। उपभोक्ताओं से यह भी अपील की गई है कि वे पतंग उड़ाने के लिए मेटल–युक्त मांझे का प्रयोग न करें। मैटलिक मांझा न सिर्फ इलाके की बिजली गुल कर सकता है, बल्कि इससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। याद रखें, मेटल–युक्त मांझा जब बिजली की तारों व अन्य उपकरणों के संपर्क में आता है, तो बिजली का करंट मैटलिक मांझे से प्रवाहित होकर आपके शरीर तक पहुंच सकता है।

हर साल पतंगबाजी की वजह से बिजली की लाइनों व उपकरणों को भारी नुकसान पहुंचता है। पिछले साल, स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में पतंगों की वजह से 25 ट्रिपिंग हुई थीं।

यदि पतंगबाजी की वजह से 33/66 केवी की एक लाइन ट्रिप होती है, तो करीब 10,000 लोगों की बिजली ठप हो जाएगी। यदि 11 केवी की एक लाइन ट्रिप होती है, तो लगभग 2500 लोगों की बिजली आपूर्ति प्रभावित होगी।

बीएसईएस ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने बच्चों को मैटेलिक मांझे के बारे में जागरूक करें और यह भी बताएं कि कटी हुई पतंग लेने के लिए बिजली उपकरणों के पास या प्रतिबंधित इलाकों में न जाएं। यह उनकी जान को जोखिम में डाल सकता है।

कानून के मुताबिक भी यह एक दंडणीय अपराध है। बिजली आपूर्ति में बाधा पहुंचाना और बिजली के उपकरणों को क्षतिग्रस्त करना कानूनन जुर्म है। इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट और दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत सजा का भी प्रावधान है।